Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा

डॉ. महेश कुमार*

* सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

शोध सारांश – महात्मा गाँधी के राजनीतिक चिंतन में ग्राम स्वराज की अवधारणा रही है, उसके मूल में उनका जो ध्येय था, वह वस्तुत: गाँवों को मात्र प्रशासनिक अधिकार देना या राजनीतिक सत्ता सौंपना नहीं रहा, वरन् गाँवों को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बनाना, सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज की स्थापना करना तथा निचले स्तर से लोकतंत्र को विकसित व साकार करना था। ताकि सच्चे अर्थों में गाँवों का विकास हो सके और केवल गाँवों ही नहीं, अपितु समग्र भारत राष्ट्र राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त व सुदृढ़ हो सके। इस हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ, अधिकार व व्यवस्था ग्राम संदर्भ में भी वांछनीय थीं, जो गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को अभिव्यक्त करती हैं तथा जिनका साकार होना ग्राम–विकास, ग्राम स्वराज तथा राष्ट्र–विकास का द्योतक है। प्रस्तुत लेख में गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा और इसे साकार करने हेतु किए गए कार्य–प्रयासों का गवेषणात्मक अध्ययन–विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – महात्मा गाँधी, ग्राम स्वराज, अवधारणा, ग्राम–विकास, प्रशासनिक अधिकार, लोकतंत्र, सत्ता–विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक, आत्मनिर्भर, नैतिकता, स्थानीय स्वशासन।

प्रस्तावना – 'ग्राम स्वराज'– जैसा कि इस नाम से ही विदित होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है– 'गाँवों का अपना राज या शासन' अर्थात् गाँवों के अपने स्वयं के अर्थात् स्थानीय स्वशासन के अर्थ और अवधारणा का सूचक है– 'ग्राम स्वराज या स्वराज्य'। गाँधी के राजनीतिक चिंतन में ग्राम स्वराज की अवधारणा रही है, उसके मूल में भी यही ध्येय निहित था कि गाँवों में स्थानीय स्वशासन हो, ताकि वे आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी होकर सशक्त बन सकें तथा उनका विकास संभव हो सके।

स्वराज्य एवं ग्राम स्वराज्य के संदर्भ में गाँधी ने अपने विचार अपने कई लेखों व वक्तव्यों में स्पष्टत: व्यक्त किए थे, जिनसे उनकी दृष्टि में, उनके विचार में स्वराज एवं ग्राम स्वराज के अर्थाभिप्राय एवं उसके लाभ व महत्तादि का परिज्ञान होता है। यथा–यंग इंडिया में निबद्ध उनका यह विचार द्रष्टव्य है, जहाँ के कहते हैं–'स्वराज्य एक पवित्र शब्द है; वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द 'इंडिपेंडेन्स' अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी का या स्वच्छंदता का अर्थ देता है– वह अर्थ स्वराज्य शब्द में नहीं है।'[1] गाँधी–दृष्टि से स्वराज केवल विदेशी सत्ता से मुक्ति या राजनीतिक परतंत्रता से आजादी पा लेना अथवा देश में अपनी केन्द्रीय सत्ता स्थपित करना नहीं था, वरन् यह देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मसंयम, आत्मानुशासन व नैतिक रूप से सुदृढ़ होने से था।

इस प्रकार गाँधी–दृष्टि में स्वराज व्यक्ति की आंतरिक शक्ति या ताकत पर निर्भर होता है।[2] इनके इस अर्थावधारणानुसार अनुसार स्वराज एक व्यापक और आत्मिकावधारणा है, परन्तु गाँवों के संदर्भ में ग्राम स्वराज अर्थात् गाँवों का अपना राज या ग्रामीण स्वशासन एक व्यावहारिक व राजनीतिक अवधारणा है, जो कि गाँवों की आत्मनिर्भरता की द्योतक भी है।

अस्तु! ग्राम स्वराज एक व्यावहारिक एवं स्थानीय स्वशासन विषयक वह अवधारणा है– जो गाँवों के राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वशासित होने को अभिव्यक्त करती है। यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है, जिसमें गाँवों की पूरी सत्ता, प्रबन्धन तथा प्रशासनिक अधिकार व प्रक्रिया केन्द्र सरकार या बाहरी सरकार–प्रशासन के बजाय सीधे तौर पर ग्रामीणों व ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय स्वशासन द्वारा संचालित होता है। जिसमें गाँवों को शोषण से मुक्ति दिलाना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सर्वप्रमुख है। इसमें लोकतंत्र सच्चे अर्थों में, प्रत्यक्षरूपेण साकार होता है, वह मात्र औपचारिकता भर या चुनावों तक सीमित नहीं रहता। क्योंकि ग्राम स्वराज में पंचायत–स्थानीय लोकतंत्र की केन्द्रीय संस्था होती है तथा ग्रामवासियों को अपने गाँव से संबंधित विषयों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार होता है, वह बाहरी अथवा केन्द्रीय शासन–प्रशासन द्वारा जबरन थोपे गए निर्णयों हेतु बाध्य नहीं होते। गाँधी जी चाहते थे कि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो, इसीलिए उन्होंने कहा था–'सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।'[3] इस प्रकार गाँधी की कल्पना का ग्राम स्वराज्य एक सच्चा और शक्तिशाली लोकतंत्र है। गांधी–स्वराज की अवधारणा में लोकतंत्र नीचे से अर्थात् ग्रामीण स्तर से, वहाँ के हर व्यक्ति की सहभागिता पूर्वक विकसित व साकार होता है, इस प्रकार वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जनभागीदारी होना सुनिश्चित देखा जा सकता है, जो प्रजातंत्र के प्रत्यक्ष अथवा मूर्तरूप का द्योतक है। ये ही बातें आदर्श ग्राम की नींव रखती और उसे सुदृढ़ बनाती हैं। जैसा कि गांधी जी का वक्तव्य रहा कि– ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए– जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा।[4] इस प्रकार यहाँ परस्पर सहयोग की भावना तो

रहेगी, लेकिन परतंत्रता अथवा दूसरों का दबाव स्वीकार्य नहीं है, जो वास्तव में स्वराज्य की सार्थकता को दर्शाता है। इस विषय में गांधी ने जो कहा, वह हरिजन में भी प्रकाशित हुआ, उसका यह अंश उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है- 'मेरा ग्राम स्वराज्य का विचार है कि यह एक पूर्ण गणराज्य है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र है और फिर भी वे एक-दूसरे पर आश्रित हैं।'[5] इस प्रकार यहाँ गांधी-चिंतन में स्पष्टत: भारतीय धरा पर सदैव से प्रचलित वेद शास्त्रीविहित उद्घोष-**'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्.....॥'**[6] की व्यावहारिक चरितार्थता को देखा जा सकता है और इसीलिए उनकी ग्राम स्वराजावधारणा में भारतीय शास्त्रग्रन्थों की सहयोग, सह-अस्तित्व, परस्पर मेल-मिलाप व आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण युक्तियाँ निहित देखी गई हैं, जो व्यष्टि-समष्टि हितार्थ हैं।

गाँधी ने ग्राम स्वराज के कुछ बुनियादी सिद्धान्त दिये, जिनमें मानव को महत्व, शरीर श्रम, समानता, संरक्षकता, विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी, स्वावलम्बन, सत्याग्रह, सब धर्मों की समानता और पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि हैं।[7] इनमें वे मानव को सर्वोच्च स्थान देते हुए प्रत्येक कार्य का परम उद्देश्य मानव का कल्याण करना मानते थे।[8] तदनुसार गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा में कुछ प्रमुख बिन्दुओं को देखें तो वे हैं- सत्ता का विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और नैतिकता-इत्यादि।

ग्राम स्वराज हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि सत्ता का केन्द्रीकरण न हो अर्थात् सत्ता मात्र कुछ लोगों के हाथों में या केन्द्र विशेष अथवा राजधानी पर केन्द्रित न हो, अपितु इसके लिए गाँवों तथा स्थानीय स्तर पर उसे संस्थाओं, यथा- ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों तक को बाँटा जाए और फिर वे स्थानीय शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करें। क्योंकि स्थानीय स्वशासन- ऐसा स्वशासन है, जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है।[9] इससे प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर एवं स्वशासित इकाई बनेगा, क्योंकि स्थानीय लोग अपने विकास के लिए समस्याओं को देखते हुए अपने अधिकारों, मूलभूत आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं और उनकी क्रियान्विति हेतु निर्णय ले सकेंगे तथा इस दिशा में यथोचित कार्य-प्रयास कर सकेंगे। गाँधी ने कहा था कि- भारत को राजनैतिक आजादी 15 अगस्त, 1947 को मिल गई है, लेकिन उसे अभी सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हांसिल करना बाकी है और वह भी शहरों और कस्बों से भिन्न, उसके सात लाख गाँवों के संदर्भ में[10]- वास्तव में उनका लक्ष्य भारतीय जनता का सर्वांगीण विकास करना था और उसकी शुरुआत गाँवों से ही होनी थी। इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन गाँधी-दृष्टि में जरूरी था। क्योंकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन होने से गाँवों में वास्तविक स्वराज होगा, जहाँ किसी बाहरी सत्ता या केन्द्रीय शक्ति का नियंत्रण न होने से वे अधीनता से मुक्त होकर ग्रामहित व विकास करने में सक्षम हो सकेंगे। स्थानीय स्वशासन- ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों आदि के द्वारा वहाँ की आम जनता को सीधे शासन और विकास कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी होते हैं, अतैव किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, लापरवाही अथवा उपेक्षा की संभावना नहीं रहती। जैसा कि इस विषय में राजनीतिविद् या विषयवेत्ताओं के अनुभव और तदनुसार उनके विचार रहे हैं कि-'स्थानीय शासन के अंगों और स्थानीय जनता में जो सम्बन्ध रहता है उससे स्थानीय शासन के एक अन्य स्वरूप का पता लगता है। स्थानीय संस्थाओं के सदस्य स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते हैं। उस क्षेत्र के निवासी स्थानीय शासन के विभिन्न अंगों के निर्माण और कार्य-कलाप में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेते हैं।'[11]

देश में वर्ष 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन इसी अवधारणा की वास्तविक परिणति स्वरूप रहा है, जिसके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और फिर अन्य राज्यों सहित देशभर में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरूपेण लागू कर इसे कानूनी रूप दिया जा चुका है।[12] इसी के चलते अब गाँवों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रवर्तित है।

प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र का वास्तविक रूप ग्राम स्वराज में प्रत्यक्ष व मूर्तरूपेण देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र मात्र औपचारिक रूपेण या कथनी का विषय नहीं होता, वरन् कथनी-करनी की एकरूपता देखी जाती है अर्थात् धरातल पर चरितार्थ होता है। यही आधार है कि गाँवों से जुड़े हर छोटे-बड़े निर्णयों में, यथा- स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी इत्यादि में जनभागीदारी बनी रहती है। पूरी ग्राम सभा आदि द्वारा सामूहिक रूपेण जो विचार-विमर्श व निर्णय होते हैं, उनमें जन-जन की सहभागिता तथा उपस्थिति इस प्रजातंत्र या जनतंत्र को साकार व चरितार्थ करती है। जैसा कि गाँधी का कहना रहा है कि- प्रजातंत्र का अर्थ मैं यह समझता हूँ कि इस तंत्र में नीचे-से-नीचे और ऊँचे-से-ऊँचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।[13] गाँधी के अनुसार- प्रजातंत्र का सार यही है कि उसमें हर एक व्यक्ति उन विविध स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनसे राष्ट्र चलता है।[14] गाँवों में स्वराज्य के संदर्भ में भी उनके प्रजातंत्र का यही रूप ग्राम विकास की आधारशिला बनता है। क्योंकि गाँवों के हित व विकास के लिए गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की ग्राम हित में प्रवृत्ति व सहभागिता जब बनी रहती है, तो वहाँ प्रत्यक्षत: प्रजातंत्र कायम रहता है। इस प्रकार ग्राम स्वराज में कागजी या कथनी मात्र का लोकतंत्र नहीं, वरन् वह वास्तविक, व्यावहारिक और मूर्त व प्रत्यक्ष हो जाता है। ग्राम में विकास कार्य, बजट, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान, नीति-निर्माण, योजनाएँ बनाना और उनकी क्रियान्विति- इत्यादि सभी में गाँव के सभी व्यक्तियों, चाहे वे निचले स्तर के हों, गरीब, असक्षम या वंचित हों, दुर्बल या सबल हों- सभी को अपनी आवाज उठाने, विचार प्रस्तुत करने अथवा पूर्ण सहभागिता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होना ग्राम स्वराज में लोकतंत्र को साकार करता है।[15] जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि ग्राम स्वराज में स्थानीय शासन द्वारा लोकतंत्र को प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है[16] यही लोकतंत्र या प्रजातंत्र का वास्तविक व व्यावहारिक रूप है।

गाँधी के आर्थिक विचारों का आधार विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त रहा है। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को वे लोकतंत्र का जीवन-रक्त समझते थे। उनका मानना था कि आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि इसकी बागडोर गाँवों के अधीन होनी चाहिए। यदि गाँव समृद्ध लोगों से परिपूर्ण होंगे तो देश स्वयं ही समृद्ध हो जायेगा।[17] इसीलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी ग्राम स्वराज की अवधारणा में निहित है, यह वस्तुत: वह ध्येय है, जो कि गाँवों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनाने के साथ ही समग्र राष्ट्र की आर्थिक सशक्तता और आत्मनिर्भर का आधार सिद्ध होता है। यही नहीं, स्वदेशी का और स्वावलंबी गाँवों का स्वप्न इसी के द्वारा साकार होता है। स्वदेशी का अर्थ ही है कि हमें दूसरे देशों

की अपेक्षा अपने देश की तथा देश के अन्दर भी दूर के स्थानों की तुलना में अपने निकट के पड़ोसी की सेवा करनी चाहिए। अपने देश और देश की चीजों के प्रति सम्मान और गौरव की भावना होनी चाहिए। इस संदर्भ में गाँधी ने कहा था कि– आत्म बलिदान का तर्कसंगत परिणाम यह है कि व्यक्ति अपने को समाज के प्रति बलिदान कर दे।[18] इस तरह मानव स्वदेशी का पालन कर समाज और विश्व की सेवा में अपने को लगा सकता है। स्थानीय रोजगार, स्वदेशी उत्पादन और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था– इत्यादि ग्राम स्वराज में आर्थिक आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक हैं। जब तक गाँवों में स्थानीय रोजगार, स्वदेशी उत्पादन और ग्रामाधारित अर्थव्यवस्था नहीं, वहाँ सच्चे अर्थों में न तो ग्राम स्वराज है और न ही गाँव आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकते हैं। गाँधी का सम्पूर्ण प्रगति दर्शन स्वदेशी के सिद्धान्त से ओतप्रोत है।[19] गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा स्वदेशी आधारित स्वावलंबन को लेकर चलती है। इसीलिए उन्होंने गाँवों के कार्यों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि– हर एक गाँव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़ों के लिए कपास खुद पैदा करे। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिए, जिसमें ढोर (पशु) चर सकें और गाँव के बड़ों एवं बच्चों के लिए मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद बची हुई जमीन में वह ऐसी फसलों को बाएगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके।[20] गाँधी के अनुसार प्रत्येक गाँव मजबूत–से–मजबूत इकाई होगी। गाँवों को अगर स्वावलंबन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाए, तो वह बहुत कुछ कर सकता है।[21] इसीलिए उन्होंने ग्रामोद्योग, कुटीर व लघु उद्योग एवं स्वदेशी उत्पादन को अतिमहत्वपूर्ण माना और गाँवों में खादी, चरखा, हस्तशिल्प, स्थानीय कृषि तथा विभिन्न छोटे–छोटे उद्योगों पर बल दिया,[22] क्योंकि ये सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होने से ग्राम स्वराज की वास्तविक संकल्पना को साकार करते हैं। ग्रामोद्योगों की योजना के मूल में अपनी कल्पना और ध्येय को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि– 'ग्रामोद्योगों की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएँ गाँवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिए और जहाँ यह मालूम हो कि अमुक चीजें गाँवों में मिलती ही नहीं, वहाँ हमें यह देखना चाहिए कि उन चीजों को थोड़े परिश्रम और संगठन से बनाकर गाँव वाले उससे कुछ मुनाफा उठा सकते हैं या नहीं।'[23] इस संदर्भ में गाँवों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा देने में गाँव वालों का पूरा ध्यान रखने और गाँववासी जनता को इस ओर प्रवृत्त होकर आत्मनिर्भर बनने तथा स्वदेशी को बढ़ावा देने की पक्षधरता[24] गाँधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने के लिए ही थी। क्योंकि गाँधी के अनुसार– स्वदेशी की भावना हमें दूर को तथा पर निर्भरता को छोड़कर अपने समीपवर्ती प्रदेश–क्षेत्र का उपयोग व सेवा करना भी सिखाती है और आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी भी बनाती है।[25] इस प्रकार उनका ग्राम स्वराज का राजनीतिक चिंतन आत्मनिर्भर व स्वावलंबी ग्राम समाज की स्थापना हेतु ही था। गाँवों की आत्मनिर्भरता समग्र राष्ट्र की आत्मनिर्भरता है, आर्थिक सशक्तता है– इसमें कोई संदेह नहीं।

सामाजिक समानता और नैतिकता भी गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा में स्पष्टत: निहित रही है। क्योंकि कोई भी समाज जो जाति–पाँति, ऊँच–नीच, धर्म–सम्प्रदाय, लिंग, वर्ग व वर्ण– इत्यादि की भेदभाव वाली मानसिकता से ग्रस्त हो, वह कदापि न तो स्वस्थ, सुखी–प्रसन्न रह सकता है, न ही वह न्यायाधारित हो सकता है और न ही वह उन्नति और विकास पथ पर अग्रसर हो सकता है। अतैव गाँवों में स्वराज को यदि साकार करना है तो यह जरूरी हो जाता है कि 'समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, स्त्री–पुरुष, नीच–उच्चवर्ग व वर्ण का भेद समाप्त हो तथा साम्प्रदायिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता हो अर्थात् सभी धर्म–सम्प्रदाय, वर्ण व जातियों के प्रति समानता व सम्मान की भावना हो। इस हेतु लोगों को जागरूक करते हुए गाँधी ने समय–समय पर जनाह्वान भी किए और अपने अनेक लेखों व वक्तव्यों द्वारा भी संदेश प्रसारित किए, जो आज भी प्रेरक बने हुए हैं। उन्होंने अस्पृश्यता अथवा छुआछूत को सबसे बड़ा कलंक मानते हुए इसका उन्मूलन करना परमावश्यक माना, क्योंकि इसके रहते न तो सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता था और न ही ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार हो सकता था। अछूत कहे जाने वाले वर्ग को हरिजन अर्थात् यहरि या ईश्वर की संतान' नाम देने के मूल में उनकी यही सामाजिक समानता की भावना निहित थी। इसके अतिरिक्त गाँवों के समस्त संसाधनों व स्थलों– विद्यालय, मंदिर, कुएँ, तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सभी का समानतापूर्वक अधिकार व प्रवेश, शारीरिक श्रम का सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान व समानता का व्यवहार– इत्यादि सभी बातें ग्राम स्वराज की अवधारणान्तर्गत रहीं, जो न केवल गाँवों के वरन् समग्र देश व राष्ट्र के विकासार्थ जरूरी थीं और ये ही आदर्श समाज के लिए भी जरूरी थीं।[26] उनका कहना था कि भारत गाँवों में रहता है, जब तक हम उनका सुधार, पुनर्निर्माण और विकास नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता।[27] उनका लक्ष्य सर्वोदय था और चूंकि व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज के सभी लोगों की उन्नति व विकास से ही सभी का कल्याण संभव है तथा भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, इसीलिए यह शुरूआत गाँवों से होना जरूरी है ताकि सर्वोदय फलीभूत हो सके।[28] इस संदर्भ में उनके सुविचार यहरिजन में इस प्रकार मिलते हैं– 'हर एक गाँव में गाँव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभाभवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा– वाटर वर्क्स होंगे, जिससे गाँव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गाँव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। जहाँ तक हो सकेगा, गाँव के सारे काम सहयोग के आधार पर किए जाएंगे। जात–पाँत और क्रमगत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाए जाते हैं, वैसे इस ग्राम–समाज में बिल्कुल नहीं रहेंगे।'[29]

हमारा देश और यहाँ की संस्कृति सदैव से अहिंसा, सत्य, परोपकार, सेवा रूपी मानवधर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित रही है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कार्य–व्यवहार में इस मूल्यों को आवश्यक माना जाता रहा है। अतैव गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा में अहिंसा, सत्यादि की व्यापकता निहित रही है[30]– इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ने, विकास करने और लोककल्याणकारी राज्य का स्वप्न भी साकार होता है। जिसमें समग्र जनता के हित का उद्देश्य सर्वप्रमुख होता है। अतैव गाँवों में अथवा समग्र लोकतंत्र में वास्तविक स्वराज हेतु असत्य व हिंसाधारित साधनोपायों का त्याग अथवा उनसे पूर्ण विमुखता जरूरी होती है– सच्ची लोकसत्ता या जनता का स्वराज्य कभी भी असत्यमय या हिंसक साधनों से नहीं आ सकता।[31] यह मानते हुए गांधी ने नैतिकता को ग्राम स्वराज में व्यापकता से समाविष्ट किया है, जो वास्तव में सैद्धान्तिकरूपेण नहीं, वरन् व्यावहारिकरूपेण चरितार्थ होती है और होनी भी चाहिए। सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता को ग्रामीण समाज के शासन–बल के रूप में मानते

हुए[32] उन्होंने स्वयं इन शस्त्रों की शक्ति का सहारा लिया– यह सर्वविदित है। उनकी कार्य पद्धति में सत्याग्रह का विशिष्ट स्थान सदैव देखा गया। वर्तमान में गाँधी की इस अवधारणानुसार गाँवों में स्थानीय शासन, आत्मनिर्भरता व समतामूलक समाज की भावना के साथ ही विभिन्न विकास योजनाएँ[33] और आधुनिक तकनीक व डिजिटलाइजेशन इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

निष्कर्ष – ग्राम स्वराज के संदर्भ में गाँधी की अवधारणा का गवेषणात्मक अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष सामने आता है कि उनका ग्राम स्वराज विदेशी सत्ता से अथवा पराधीनता से मुक्ति मात्र नहीं, वरन् गाँवों का वह अपना शासन है, जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए उन्हें न केवल स्थानीय स्तर पर कार्याधिकार प्रदान करता है, वरन् गाँवों की आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन व सच्चे लोकतंत्र को भी स्थापित और सुदृढ़ करता है। गाँवों का हर दृष्टि से विकास समग्र राष्ट्र के विकास का मूलाधार सिद्ध होता है। वर्तमान में गाँधी का ग्राम स्वराज मात्र एक अवधारणा या ग्रामीण मॉडल अथवा प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता, वरन् यह संवैधानिक स्वीकृति द्वारा गाँवों में प्रवर्तित है, जो स्थानीय स्वशासन– ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के रूप में सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा हो चुका है। जहाँ स्थानीय लोकतंत्र, ग्रामीण आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन, सामाजिक समानता, न्याय और सतत विकास को धरातल पर साकार करने का उपक्रम जारी रहता है एवं प्रत्येक कार्य–व्यवहार में पारदर्शिता का पूर्ण प्रयास रहता है, जिसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। क्योंकि कम्प्यूटर आधारित व्यवस्था और डिजिटल कार्य प्रणाली में किसी भी तरह के भ्रम, भ्रष्टाचार, असंतोष व मिथ्याचारादि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नि:सन्देह गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा वर्तमान में पंचायती राजव्यवस्था, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय आत्मनिर्भरता, आधुनिकता के दौर में जनचेतना के चलते परम्परागत रूढ़ियों व संकीर्णताओं से मुक्त समाज और आधुनिक तकनीक के सहयोग से फलीभूत हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015), पृष्ठ–3 पर 'यंग इंडिया', 19.03.1931, पृष्ठ 38 का उद्धरण
2. गाँधी, मोहनदास करमचन्द : मेरे सपनों का भारत, पृ. 5
3. व्यास, हरिप्रसाद : महात्मा गाँधी– ग्राम स्वराज्य (2003), पृष्ठ–15
4. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015), पृ. 32
5. कमल, प्रो. के.एल. : भारतीय राजनीतिक चिंतन, पृ. 218 पर यहरिजन, 26 जुलाई, 1942 में प्रकाशित
6. ऋग्वेद, 10/191/2 'संगठन सूक्त', पृ. 1423–24
7. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015) अध्याय–6 'ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धान्त'
8. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015), पृ. 35
9. मिश्र, कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान, 'अध्याय–23 स्थानीय स्वशासन', पृ. 654
10. गंगराडे, के.डी. : गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास (2006), पृ. 89
11. मिश्र, कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान, पृ. 655
12. बाबेल, डॉ. बसंतीलाल : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, पृ. 1
13. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 13
14. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 12
15. कमल, भारतीय राजनीतिक चिंतन, पृ. 218
16. मिश्र, कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान, पृ. 658
17. वाजपेयी, ए.डी.एन. एवं शुक्ल, प्रो. ज.प्र. : गाँधी का आर्थिक चिंतन (2012), पृ. 53
18. मिश्रा एण्ड दाधीच : गाँधी का राजनैतिक चिंतन (2002), पृ. 81
19. कमल, भारतीय राजनीतिक चिंतन, पृ. 218
20. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 77
21. वही, पृ. 79, हरिजन सेवक, 04.08.1946
22. वाजपेयी, ए.डी.एन. एवं शुक्ल, प्रो. ज.प्र. : गाँधी का आर्थिक चिंतन, पृ. 56–57
23. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 84
24. वही, पृ. 85
25. वही, पृ. 98
26. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015), अध्याय–6, पृ. 35–43
27. गंगराडे, के.डी. : गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास (2006), पृ. 11
28. वही, पृ. 89
29. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 78 पर 'हरिजन सेवक' 02.08.1942
30. मिश्रा एण्ड दाधीच : गाँधी का राजनैतिक चिंतन, पृ. 148
31. गाँधी : मेरे सपनों का भारत, पृ. 12
32. मिश्रा एण्ड दाधीच : गाँधी का राजनैतिक चिंतन, पृ. 148
33. बाबेल, डॉ. बसंतीलाल : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, द्रष्टव्य–समग्र पुस्तक।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. कमल, प्रो. के. एल. : भारतीय राजनीतिक चिंतन (2010), प्रकाशक– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. गंगराडे, के.डी. : गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास (2006), राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली
3. गाँधी, मोहनदास करमचन्द्र : मेरे सपनों का भारत (2020), प्रकाशक– इण्डियन पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
4. बाबेल, डॉ. बसंतीलाल (2008), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, प्रकाशक– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
5. मिश्र, कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान (2001), एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली।
6. मिश्रा, एम.के. एवं दाधीच, कमल : गाँधी का राजनैतिक चिंतन (2002), अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली।
7. व्यास, हरिप्रसाद : महात्मा गाँधी– ग्राम स्वराज्य (2003), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।
8. व्यास, हरिप्रसाद : ग्राम स्वराज्य (2015), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।
9. वाजपेयी, ए.डी.एन. एवं शुक्ल, प्रो. ज.प्र. : गाँधी का आर्थिक चिंतन (2012), कॉलेज बुक डिपो, त्रिपोलिया, जयपुर।
10. शास्त्री, सत्यवीर (संपादक), ऋग्वेद, द्वितीय संस्करण, 2017, डी.पी.बी. पब्लिकेशन्स, 110, चावड़ी बाजार, दिल्ली–6.